न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

शस्त्र वाद सं0– 42/2015

श्री राम एकबाल राय, पिता– स्व0 जगरनाथ राय, सा0–बसौता, थाना–भेल्दी, जिला–सारण

आदेश का क्रम-संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख-सहित
13.08.2015	यह वाद पुलिस अधीक्षक,सारण,छपरा के पत्रांक 657 गो0/, दिनांक 04.02.2015 के द्वारा प्रेषित पुलिस प्रतिवेदन के साथ आवेदक राम एकबाल राय, पिता स्व0 जगरनाथ राय, सा0–बसौता, थाना– भेल्दी, जिला–सारण के शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु दिए गए संलग्न आवेदन के आलोक में प्रारंभ हुआ। आवेदक के द्वारा कार्यालय में संपर्क करने पर उन्हें सूचित किया गया कि उक्त वाद में सुनवाई की तिथि 06.08.2015 निर्धारित की गई है। दिनांक 06.08.2015 को आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर अपनी हाजरी एवं शस्त्र की अनुज्ञप्ति निर्गत करने के लिए आवेदन दिया गया। अन्य कार्यो में व्यस्तता की वजह से उस दिन सुनवाई नहीं की जा सकी, एवं अगली तिथि 13.08.2015 को निर्धारित की गई। दिनांक 13.08.2015 को आवेदक से हाजरी प्राप्त। आवेदक उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। आवेदक के द्वारा बताया गया कि वे एक व्यवसायी है, जिस वजह से उन्हें गांव से शहर तक खरीदारी हेतु रूपया लेकर जाना पड़ता है। उनका निवास माओवाद से प्रभावित क्षेत्र में है। उनके परिवार में किसी भी सदस्य को शस्त्र की अनुज्ञप्ति निर्गत नहीं है। ऐस क्षेत्र में रूपया लेकर आने जाने से उनके जान माल पर बराबर खतरे की आशंका बनी रहती है। अतः उनके द्वारा शस्त्र की अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया। आवेदक को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरांत मैं यह पाता हूँ कि पुलिस अधीक्षक,सारण,छपरा के पत्रांक 657 गो0/, दिनांक 04.02.2015 के द्वारा प्रेषित पुलिस प्रतिवेदन में थानाध्यक्ष, भेल्दी के द्वारा दिनांक 03.11.2014 को प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक एक सामाजिक कार्यकर्ता है। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। इनके जान माल की सुरक्षा हेतु इन्हें शस्त्र की अनुज्ञप्ति देने की अनुशंसा की जाती है। थानाध्यक्ष,भेल्दी के द्वारा अपने उक्त प्रतिवेदन में आवेदक के साथ किसी प्रकार की धटना के धटित होने का उल्लेख नहीं किया गया है।	

साथ ही, पुलिस अधीक्षक,सारण,छपरा के द्वारा भी आवेदक के आवेदन एवं अन्य कागजातों को संलग्न कर आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित किया गया है। पुलिस अधीक्षक,सारण,छपरा के द्वारा आवेदक को शस्त्र की अनुज्ञप्ति निर्गत करने की स्पष्ट अनुशंसा नहीं की गई है। इस तरह आवेदक के जान माल पर खतरे की आशंका की कोई संभावना प्रतीत नहीं हो रही हैं।

अतः भारत सरकार के पत्रांक V-11016/16/2009-शस्त्र,दिनांक 31-03-2010 जो गृह आरक्षी विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 7/अनु0-10-25/2010 गृह आरक्षी 3026, दिनांक 13.04.2010 के द्वारा प्रेषित है, के आलोक में आवेदक राम एकबाल राय, पिता स्व0 जगरनाथ राय, सा0-बसौता, थाना- भेल्दी, जिला-सारण के जान माल पर खतरे का कोई स्पष्ट आशंका न पाकर आवेदक के द्वारा शस्त्र की अनुज्ञप्ति के लिए दाखिल आवेदन पत्र दिनांक 10.06.2014 को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

13/8/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

13/8/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 1580 /न्या0, दिनांक 22.8.15

प्रतिलिपिः- पुलिस अधीक्षक,सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- प्रभारी पदाधिकारी, जिला शस्त्र शाखा,सारण,छपरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0,सारण,छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए निदेशानुसार प्रेषित।

22/8/15

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण,छपरा।

22/8/15